

मि. सं. – ई0 11011/2/2019/भाषा
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन, सी-ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली – 110023


• • •

विषय: हिंदी पत्रिका "मानव अधिकार : नई दिशाएं" (अंक-16) हेतु आलेख भेजने के संबंध में अनुरोध।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई, जो अपने स्थापना काल से ही देश में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि हिन्दी संघ की राजभाषा है और यह देश के काफी बड़े भू-भाग में बोली और समझी जाती है अतः आयोग ने यह अनुभव किया कि मानव अधिकार जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर हिन्दी में एक उच्चस्तरीय वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाए। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए, जनमानस में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा वर्ष 2004 से हिन्दी में एक उच्चस्तरीय हिन्दी पत्रिका, "मानव अधिकार : नई दिशाएँ" का प्रकाशन किया जा रहा है, जो मानव अधिकारों से संबंधित सम-सामयिक विषयों पर सूचना, ज्ञान एवं अनुभव साझा करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इसमें मानवीय संवेदनाओं के प्रति रुचि रखने वाले बुद्धिजीवियों, लेखकों तथा अकादमिक क्षेत्र से जुड़े महानुभावों से आलेख प्रकाशित किए जाते हैं।

अब तक इसके 15 अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा इस वर्ष 16वां अंक प्रकाशित किया जाना है जिसके लिए "हाशिए का समाज और मानव अधिकार" विषय निर्धारित किया गया है। इस निमित्त मानवीय संवेदनाओं के प्रति रुचि रखने वाले बुद्धिजीवियों, लेखकों तथा अकादमिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों से निर्धारित विषय के विभिन्न आयामों पर आलेख आमंत्रित किए जाते हैं। आलेख लगभग 3000 शब्दों का होना चाहिए। साथ ही, मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित उत्कृष्ट कहानियां एवं कविताएं आदि को भी पत्रिका में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा स्वीकृत आलेख, कहानी एवं कविता के लिए मानदेय के रूप में क्रमशः ₹10,000/-, ₹5,000/- तथा ₹1,000/- दिए जाने का भी प्रावधान है।

सभी रचनाएं केवल कृति देव 010 फांट (Kruti Dev 010 Font) में ही स्वीकार्य होंगी। आयोग में ई-मेल (adol.nhrc@nic.in) द्वारा अथवा सी.डी. में रचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 निर्धारित की गई है।


(डॉ. एस. के. शुक्ल)
सहायक निदेशक
18.06.2019